रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1039] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934
No. 1039] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

का.आ. 1255(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अंतर्गत न्यायनिर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के), कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी), कांगली याओल कानबा लुप (के वाई के एल) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (4) के अनुसार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

[फा. सं. 11011/65/2011-एन ई-V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायालय सं.11, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट</u>

के मामले में:

दिनांक 13 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. 2568 (अ) के तहत मणिपुर के निम्नलिखित मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात्,

1. पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे सामान्यत: पी एल ए के नाम से जाना जाता है;
2. रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ-पी एल ए का राजनैतिक विंग);
3. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ);
4. दी पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) और इसके सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" कहा जाता है;
5. कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;
6. कांगली याओल कान्बा लुप (के वाई के एल); और
7. मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)

को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगम" घोषित किए जाने

और

दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2764 (अ) के तहत गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के मामले में:

1. केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2568 (अ) के तहत मणिपुर के मैतई उग्रवादी सगठनों, अर्थात् (1) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए);

(2) रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ); (3) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ); (4) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) और इसके सशस्त्र विंग "रेड आर्मी"; (5) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है; (6) कांगली याओल कानबा लुप (के वाई के एल); और (7) मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) के साथ-साथ इनके सभी घटकों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप से "मैतेई उग्रवादी संगठन" कहा गया है) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था।

2. उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार का यह मत है कि मैतई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यदि मैतेई उग्रवादी संगठनों की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल अंकुश तथा नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उन्हें निम्नलिखित के अवसर प्राप्त हो जाएंगे:-

(i) अपनी अलगाववादी, विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काडरों को एकजुट करना;

(ii) भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विस्तार करना;

(iii) आम नागरिकों की हत्याओं में वृद्धि करना तथा पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अधिक मात्रा में अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा जुटाना;

(v) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी मात्रा में जबरन धन ऐंठना तथा निधियां इकट्ठी करना।

3. आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि इन उग्रवादी संगठनों ने खुलेआम यह घोषणा की है कि उनका उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर राष्ट्र का गठन करना है और वे ऊपर उल्लिखित अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए

सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल तथा प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ये सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले मणिपुर के लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं, अपने संगठनों के लिए निधियां इकट्ठा करने के लिए डराने, धमकाने, जबरन धन ऐंठने तथा आम जनता से लूटपाट करने के कृत्यों में शामिल रहे हैं, ये अपने अलगाववादी उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से जनमत को प्रभावित करने तथा शस्त्रों एवं प्रशिक्षण के रूप में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपने संपर्क स्थापित करने के प्रयास भी करते रहे हैं और ये सुरक्षित शरण-स्थली, प्रशिक्षण तथा हथियार एवं गोलाबारूद के गुप्त तरीके से प्रापण के प्रयोजन से पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं। उपर्युक्त कारणों और आधार पर केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त संगठन विधिविरुद्ध संगम हैं।

4. केन्द्र सरकार ने अधिनियम के तहत मैतेई उग्रवादी संगठनों को दिनांक 13.11.2011 से दो वर्ष की और अवधि के लिए "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करते समय निम्नलिखित आधारों पर भी विचार किया है:-

i) मणिपुर को भारत से अलग करने की नीति को अपनाना जारी रखना;

ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता जारी रखना;

iii) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के तौर पर सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और भय बनाए रखना;

iv) जनता से जबरन धन-वसूली और अवैध वसूली करना;

v) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित संगठनों सहित पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समर्थन देना;

vi) गुप्त माध्यमों द्वारा बड़ी संख्या में परिष्कृत हथियारों और गोलाबारूद का प्रापण।

5. केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 नवम्बर, 2011 की अपनी अधिसूचना सं. 2568 (अ) के माध्यम से मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया था। इसने अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2764 (अ) के तहत यह न्याय निर्णय करने के

लिए इस अधिकरण का गठन किया कि क्या उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है।

6. उपर्युक्त संदर्भ भेजे जाने के पश्चात्, अधिकरण ने अधिनियम की धारा 4 (2) के उपबंध के अनुसरण में दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 के आदेश के तहत उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को इस संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि वे इस नोटिस की तामीली की तारीख से 30 दिन के भीतर यह बताएं कि क्यों न उक्त संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए। अधिकरण ने यह भी निदेश दिया कि नोटिस की तामीली निम्न तरीकों से की जाए:

(i) उपर्युक्त संगमों के कार्यालयों, यदि कोई हों, के किसी मुख्य भाग पर नोटिस की प्रति चिपकाकर;

(ii) जहां कहीं संभव हो, संगमों के प्रमुख पदाधिकारियों, यदि कोई हों, को नोटिस की प्रति की तामीली द्वारा;

(iii) ऐसे क्षेत्र में जहां संगमों की गतिविधियां सामान्यतया चलाई जाती हों, ढोल बजाकर या लाउडस्पीकरों के माध्यम से नोटिस की विषय-वस्तु की उदघोषणा द्वारा;

(iv) आकाशवाणी के स्थानीय या निकटतम प्रसारण केन्द्र से रेडियो पर प्रसारण द्वारा;

(v) जिला या तहसील मुख्यालय, जहां संगमों के प्रधान कार्यालय स्थित हैं, में जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के कार्यालय, जैसा भी मामला हो, के सूचना पट्ट पर नोटिस चिपकाकर; और

(vi) मणिपुर राज्य, जहां ऊपर उल्लिखित संगठनों की गतिविधियां सामान्यतया जारी रहती हैं, के एक राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, जो मणिपुर राज्य में परिचालित हो रहे हों, में प्रकाशन द्वारा।

7. अधिकरण ने अपने पंजीयक को भी नोटिसों की तामीली का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया। नोटिसों की तामीली के संबंध में पंजीयक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। भारत संघ द्वारा तामीली संबंधी शपथपत्र दाखिल किया गया।

8. रिकार्डों में उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त अधिकरण के पंजीयक की रिपोर्ट से इस बारे में अधिकरण संतुष्ट हो गया था कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 के नियम 6

में यथानिर्धारित निर्देशों के अनुसार पूर्वोक्त संगठनों/संगमों को विधिवत रूप से नोटिसों की तामीली कर दी गई है।

9. दिनांक 20 दिसम्बर, 2011, 07 फरवरी, 2012, 16 फरवरी, 2012 और 20 मार्च, 2012 के आदेशों द्वारा मैतेई उग्रवादी संगठनों को अपने उत्तर/शपथ-पत्र दाखिल करने और सुनवाई की तारीखों पर अधिकरण के समक्ष स्वयं को पेश किए जाने के लिए दिए गए तमाम अवसरों के बावजूद, कोई भी संगठन अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ है और न ही नोटिस के प्रत्युत्तर में कोई कारण दर्शाया गया।

10. दिनांक 12 मार्च, 2012 को शिलांग में हुई अधिकरण की सुनवाई में पी डब्ल्यू-1, श्री देवेश देवल, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार और श्री हॉपसन सापाम, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी विष्णुपुर (मणिपुर) के साक्ष्य को रिकार्ड किया गया। दिनांक 13 मार्च, 2012 को हुई सुनवाई के दौरान, मणिपुर राज्य की ओर से अधिवक्ता के अनुरोध पर दो और गवाहों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई तथा श्री एन. मधुनीमई सिंह, एस डी पी ओ, इम्फाल (पश्चिम) तथा श्री लेनिन लामाबाम, एस डी पी ओ, मोईरिंग के साक्ष्य आस्थगित कर दिए गए। मामले की सुनवाई दिनांक 20 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में नियत की गई।

11. दिनांक 20 मार्च, 2012 को पी डब्ल्यू-3, श्री जे.पी.एन. सिंह, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था, के साक्ष्य को रिकार्ड किया गया और मामले की सुनवाई दिनांक 3 और 4 अप्रैल, 2012 को गुवाहाटी में नियत की गई।

12. दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को गुवाहाटी में मणिपुर सरकार के निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपने-अपने शपथ-पत्र दायर किए थे, को शपथ दिलाकर पूछताछ की गई और उनके बयान रिकार्ड किए गए:-

पी डब्ल्यू-4 श्री हुस्ने ज़मा, अपर पुलिस अधीक्षक (एल यू) इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर;

पी डब्ल्यू-5 श्री लेनिन लामाबाम, एस डी पी ओ, मोईरंग, मणिपुर;

पी डब्ल्यू-6 श्री एस. ईम्बोम्चा सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, कमांडो, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर;

पी डब्ल्यू-7 श्री एन. मधुनीमई सिंह, एस डी पी ओ, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर।

13. उनकी मुख्य जांच के दौरान, ऊपर उल्लिखित सभी गवाहों ने अपने संबंधित शपथ-पत्रों पर अपने-अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया और अपने साक्ष्य के एक हिस्से के रूप में इनमें उल्लिखित सभी प्रदर्शों के साथ अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए।

14. यथापूर्वोक्त दिए गए अवसरों के बावजूद पूर्वोक्त मैतेई संगठनों के लिए कोई भी गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसलिए गवाहों को छोड़ दिया गया। चूंकि इस अधिकरण अथवा इसके पंजीयक किसी के द्वारा पूर्वोक्त उग्रवादी संगठनों से कोई प्रतिवेदन, संदेश अथवा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया और मामले को बहस हेतु दिल्ली में दिनांक 18 और 19 अप्रैल, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का निदेश दिया गया।

15. भारत संघ की ओर से श्री ए.एस. चण्डिओक, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तथा सहायक श्री बलदेव मलिक और श्री हिमांशु बजाज, अधिवक्ताओं द्वारा जिरह की गई। विद्वान ए एस पी ने अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3.(1) के तहत जारी की गई दिनांक 13.11.2011 की अधिसूचना संख्या 2568 (अ), जिसके द्वारा पूर्वोक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है, की पुष्टि की जाए।

16. अधिकरण ने रिकार्ड में रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य और भारत संघ तथा मणिपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया है।

17. पी डब्ल्यू-1 श्री देवेश देवल, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार ने साक्ष्य (प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/1) के रूप में अपने शपथपत्र में कहा है कि मणिपुर पिछले कई वर्षों से विद्रोह की समस्या से ग्रसित है और यह मैतेई उग्रवादी संगठनों नामतः, (i) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), जो रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ) के रूप में ज्ञात संगठन का एक सशस्त्र विंग है; (ii) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के); (iii) यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ); (iv) कांगली याओल कन्बा लुप (के वाई के एल); (v) कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी); और (vi) मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) की देन है। उनके द्वारा यह कहा गया कि मणिपुर राज्य सरकार को इन मैतेई अतिवादी संगठनों द्वारा मणिपुर राज्य में पैदा की गई विद्रोह की समस्या से निपटना पड़ता है तथा कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य, मणिपुर को भारत संघ से अलग करना तथा एक स्वतंत्र प्रभुतासम्पन्न देश बनाना है; दूसरे शब्दों में, भारत से मणिपुर राज्य को अलग कराना उक्त

संगठनों का उद्देश्य है। आगे यह उल्लेख किया गया कि ये संगठन न तो स्वयं को और न ही मणिपुर राज्य को संप्रभुता सम्पन्न भारत का हिस्सा मानते हैं और एक स्वतंत्र मणिपुर राज्य स्थापित करना चाहते हैं तथा मौका मिलते ही हिंसा, आतंक, धमकी और इन जैसी गतिविधियों का सहारा लेकर आम जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वे हथियार, शस्त्र और गोला-बारूद प्राप्त करते हैं और इसके लिए वे बड़ी संख्या में जबरन धन-वसूली के लिए लोगों को धमकाते हैं तथा असहयोग की दशा में वे उन्हें खत्म कर देते हैं। इन संगठनों का प्रयास आतंक को फैलाना तथा अपनी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए धन उगाहना है। ये संगठन सरकारी कर्मचारियों और संपन्न लोगों को मांग नोटिस देते हैं जिसमें उन्हें कर का भुगतान किए जाने की मांग होती है ताकि मणिपुर राज्य को अलग करने की उनकी मांग जारी रह सके। यदि देश के प्रधानमंत्री या कोई अन्य शीर्षस्थ गणमान्य व्यक्ति दौरा करता है तो वे कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए लोगों पर दवाब बनाते हैं तथा उन्हें धमकी देते हैं कि यदि वे कार्यक्रम में भाग लेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सभी प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों, विशेषकर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का वे बहिष्कार करते हैं। इन संगठनों द्वारा उत्पन्न किए गए भय के कारण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उपस्थिति अपेक्षाकृत कम होती है।

18. जहां तक रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ) और पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि उनका मुख्यालय म्यांमार के नुंगकेट में स्थित हैं। म्यांमार और भारत-म्यांमार सीमा पर इनके अनेक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि आर पी एफ "राजनैतिक विंग" तथा पी एल ए इसका "सशस्त्र विंग" है। इन दोनों विंगों की काडर नफरी 700 (सात सौ) है और ये अपने लक्ष्य पर हमला करने या अपनी लक्षित गतिविधियां चलाने के लिए कम संख्या में आवाजाही का शहरी गुरिल्ला युद्धकौशल अपनाते हैं। वे पुलिस थानों, सीमा चौकियों पर हमला करते हैं तथा सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते हैं। वे सरकारी विभागों, कर्मचारियों, व्यावसायियों आदि से धनराशि इकट्ठी करते हैं। अन्य समान संगठनों अर्थात् एन एस सी एन (के), यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के, टी पी डी एफ, उल्फा, के सी पी, यू पी पी के, आदि तथा सी पी आई (माओवादी) से उनकी कथित रूप से गहन सांठ-गांठ भी है। यह मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) का भी सदस्य संगठन है जिसका गठन, रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), पीपल्स

रिवाल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) के अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा के तहत दिनांक 01.03.1999 को हुआ था। पी डब्ल्यू-1 द्वारा आगे यह कहा गया कि इन दो विंगों के पास लगभग 1000 अन्य हथियारों के अतिरिक्त ए के-47, ए के-56, एम-16, एम-18, एम-20, एम-21, एम-22, एम-23, एल एम जी और रॉकेट लांचर जैसे 500 से अधिक परिष्कृत हथियार मौजूद हैं।

19. यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेइपाक (पी आर ई पी ए के), कांग्लेई याओल कान्बा लुप (के वाई के एल), कांग्लेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी), और मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) के संबंध में उक्त पी डब्ल्यू-1 द्वारा इसी प्रकार के बयान दिए गए हैं।

20. पी डब्ल्यू-1 के शपथपत्र के साथ, मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध 13.11.2009 से 20.6.2011 की अवधि के लिए दर्ज कराई गई प्राथमिकियों की सत्यापित प्रतियां जब्ती ज्ञापनों के साथ फाईल की गई हैं और इन्हें प्रदर्श पी डब्ल्यू 1/2 से 1/6 के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रदर्श पी डब्ल्यू 1/7 में जब्त साहित्य, पर्चे, अखबार की कतरनें इत्यादि शामिल हैं। प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/8 में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों द्वारा किए गए अपराधों का संझिप्त विवरण, उनकी गतिविधियों संबंधी नोट तथा रिपोर्टों में प्रयुक्त पुलिस थानों से संबंधित संक्षेपणों का विवरण शामिल है।

21. पी डब्ल्यू-1 ने यह बयान दिया है कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद ये प्रतिबंधित संगठन अपनी अवैध गतिविधियों को निरंतर जारी रखे हुए हैं। 13.11.2009 से 20.06.2011 की अवधि के दौरान उक्त संगठनों के विरूद्ध 876 एफ आई आर दर्ज कराई गईं। वर्ष 1979 से राज्य में बड़े पैमाने पर आतंकवाद संबंधी हिंसा हुई है। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर राज्य सरकार ने ऊपर उल्लिखित संगठनों की 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित किए जाने संबंधी घोषणा को जारी रखने की सिफारिश की है। अभिसाक्षी ने यह भी बताया है कि मणिपुर सरकार और भारत सरकार द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद अतिवादी गतिविधियां समाप्त नहीं हुई हैं अतः इन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया है कि इन संगठनों को अभी भी 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किए जाने की जरूरत है ताकि लोक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा को बनाए रखने संबंधी मुद्दों से मणिपुर सरकार प्रभावी ढंग से निपट सके।

1960GI/12—2

22. के सी पी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/326/447/34 आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-सी) तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 17/20 के तहत दर्ज एफ आई आर मामला सं. 50 (6) 2010 एन बी एल-पी एस में पी डब्ल्यू-2 श्री होपसन सैपम, उप-संभागीय पुलिस अधिकारी बिशनुपुर, मणिपुर जांच अधिकारी हैं। गवाह ने यह बताया कि दिनांक 20.06.2010 को यह रिपोर्ट मिली कि बिशनुपुर बागवानी विभाग के कृषि अधिकारी किसी नोंगथोंबम सरत सिंह की किन्ही अज्ञात युवकों जो उग्रवादी समूह के सदस्य थे, ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही वे पुलिस दल सहित घटना स्थल पर पहुंचे तथा उन्होंने जांच शुरू कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्री नोंगथोंबम सरत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी के सी पी मोबाइल टास्क फोर्स ने अपने ऊपर ली है। यह भी बताया कि दिनांक 01.07.2010 को गवाह को यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ के सी पी सिटी मैतई काडर, जो नोंगथोंबम सरत सिंह की हत्या में शामिल थे, नांबोल क्षेत्र में घूम रहे थे तथा इस सूचना के प्राप्त होते ही वे पुलिस दल सहित नांबोल पहुंचे तथा उन्होंने उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी तथा दो घरों की तलाशी लिए जाने पर के सी पी सिटी मैतई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उटलाऊ मायाई लैकाई पहुंचने पर तथा खोज करने पर दो और के सी पी सिटी मैतई काडरों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद काकयाई लागपोक बाजार से दो और के सी पी सिटी मैतई काडरों को गिरफ्तार किया गया। पी डब्ल्यू-2 ने आगे यह भी बताया कि दिनांक 03.07.2010 को बिशनुपुर बाजार से एक और के सी पी सिटी मैतई काडर को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दोषी व्यक्ति श्री नोंगथोंबम सरत सिंह की हत्या में शामिल थे।

23. पी. डब्ल्यू-4, श्री श्री हुस्ने जमान, अपर पुलिस अधीक्षक (एल ओ) इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर ने यह बताया है कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 20, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-सी) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत पी आर ई पी ए के के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर मामला सं. 21 (6) 2011 के यू बी-पी एस में जांच अधिकारी थे। उन्होंने यह बयान दिया है कि कुम्बी क्षेत्र में तथा इसके आस-पास पी आर ई पी ए के द्वारा भारी मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारूद छुपाए जाने संबंधी दिनांक 15.06.2011 को प्राप्त विशिष्ट आसूचना रिपोर्ट के आधार पर सी डी ओ-इम्फाल वेस्ट तथा सी

डी ओ- बिशनुपुर के एक संयुक्त दल द्वारा छानबीन की गई तथा दो अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने यह स्वीकार किया कि वे पी आर ई पी ए के के सक्रिय सदस्य हैं। और अधिक पूछताछ किए जाने पर दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया कि वे किसी सुश्री वाहेंगबम ओंगबी अमुरेई देवी के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे तथा तदनुसार अमुरेई देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर तीनों गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने बताया कि कोंबी, अवांग खानू स्थित एक फिश फार्म में भारी मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारूद छुपा कर रखे गए हैं जिन्हें प्लास्टिक से ढका गया है। गवाह ने बयान दिया कि छानबीन की गई थी तथा एक बड़े आकार का शैल, छः आर पी जी शैल, 13 आर पी जी शैल एक्सटेंसर, यू एस कारबाइन मैग्जीन, एक जी-3 राइफल मैग्जीन तीस लीथोड शैल तथा 17 मोर्टार शैल जब्त किए गए। और अधिक पूछताछ करने तथा सुश्री अमुरेई देवी का नाम लिए जाने पर तीस लाइव राउंड वाली एक ए.के. 56 रायफल तथा एक मैग्जीन वाली एम -16 रायफल बरामद की गई।

24. पी डब्ल्यू, 5 श्री लेनिन लामाबाम, सब डिवीज़नल पुलिस अधिकारी मोएरांग, मणिपुर ने बयान दिया कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20, आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-सी) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत पी आर ई पी ए के के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर मामला सं. 21(6) 2011 के यू बी-पी एस में मौजूदा जांच अधिकारी हैं। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने दिनांक 29.12.2011 को पी डब्ल्यू -4 से कार्य भार सँभाला।

25. पी डब्ल्यू-6, श्री एस. इबोम्या सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक, कमांडो, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर ने बयान दिया कि वे आर पी एफ/पी एल ए के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 18/20, आयुध अधिनियम की धारा 25-(।-ख) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दर्ज एफ आई आर मामला सं. 9 (02)/2010 सिटी पुलिस थाना में जांच अधिकारी थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि यू एन एल एफ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 384/34, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16/17/20 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-ख) के तहत दर्ज एफ आई आर मामला सं. 119 (12)/2009 सिटी पुलिस थाना में भी जांच अधिकारी थे।

26. उन्होंने बयान दिया कि दिनांक 17.02.2010 को एक विश्वसनीय आसूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि आर पी एफ/पी एल ए के कुछ काडर क्षतिकारक-गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाजार के तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में घूम रहे हैं, छानबीन की गई तथा एक युवक को गिरफ्तार किया गया जिसने बताया कि वह आर पी एफ/पी एल ए का एक ओवर ग्राउन्ड वर्कर है और अधिक पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वह पी एल ए के लिए शस्त्र और गोलाबारूद को लाया ले जाया करता था तथा उसने श्री सानाबम पुंगोऊ सिंह तथा श्री मोरांगफेम इबोम्या सिंह के घर पर भारी मात्रा में विविध प्रकार के शस्त्र एवं गोलाबारूद छुपाए हुए हैं। यह बयान दिया गया कि श्री सानाबम पोंगऊ सिंह का नाम लिए जाने पर 2100 ए. के. गोलाबारूद, 500 एम-16 गोलाबारूद, 70 लीथोड बम, डिटोनेटरों सहित 10 चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड, 13 चाइनीज मेड 2 मोर्टार शैल, 2 ए-के मैग्जीन, 1 नोकिया मोबाइल हैंड सैट, 1 एक्टिवा स्कूटर बरामद किए गए तथा श्री सानाबम पुंगोऊ सिंह और श्री मोरांगफेम इबोमचा सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा ये गिरफ्तार व्यक्ति आर पी एफ/पी एल के के ओवर ग्राउन्ड वर्कर हैं।

27. पी डब्ल्यू-6 ने आगे बयान दिया है कि 19.12.2009 को इस आसूचना जानकारी के आधार पर कि यू एन एल एफ में कुछ सदस्य जोनस्टोन हायर सेकेन्ड्री स्कूल के भवन में एक संयुक्त बैठक करने जा रहे हैं, वह अपने दल के साथ घटना स्थल पहुंचे और वहां छानबीन तथा जांच की। छानबीन के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों नामत: श्री नाओरेम किरन, यू एन एल एफ का एक सहायक आर ओ आई डब्ल्यू तथा निंगथोऊजाम हेलेन्द्रो सिंह, 4 आई आर बी (ई कम्पनी) का एक राइफल मैन, जो अपनी राइफलमैन संख्या 405331 के साथ था, को गिरफ्तार किया गया। आगे यह बयान दिया गया है कि इन दो गिरफ्तार व्यक्तियों के खुलासों के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही की गई तथा सात और व्यक्तियों जिसमें से एक नामत: श्री ओइनाम आइबोपिशाक सिंह, लोकटक विकास प्राधिकरण का कार्यकारी इंजीनियर था, को गिरफ्तार किया गया तथा मैगजीन रहित तीन (3) ए के-56 राइफल, एक डबल बैरल गन, एक इनवर्टर, 170 ए के 56 प्रोजेक्टाइल, दस डबल बैरल गोलाबारूद, एक बर्तन तथा एक सोलर लैम्प प्लैट जब्त किए गए। आगे यह बयान दिया गया कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ओइनाम आइबोपिशाक सिंह, लोकटक विकास प्राधिकरण का कार्यकारी इंजीनियर , धनराशि एकत्रित करने तथा यू एन एल एफ आतंकवादी संगठन के सदस्यों की बैठकें आयोजित करवाने में उनकी सहायता करने में संलिप्त था।

28. पी डब्ल्यू-7 श्री एन. मधुनिमाई सिंह, उप डिवीजनल पुलिस अधिकारी, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर ने बयान दिया है कि वह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत के वाई के एल के विरुद्ध रजिस्टर्ड एफ आई आर संख्या 227 में जांच अधिकारी हैं। उन्होंने बयान दिया है कि दिनांक 13.04.2011 को केइशमपाट क्षेत्र में तथा इसके आसपास के वाई के एल के कट्टर काडर होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। इस विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक व्यक्ति नामत: श्री माइबाम रोशन को गिरफ्तार किया गया जिसने खुलासा किया कि पहले वह यू एन एल एफ का सक्रिय सदस्य था। अधिक पूछताछ पर उसने बताया कि वह अब के वाई के एल का सदस्य है। पी डब्ल्यू-7 ने आगे बयान दिया कि उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से दो चीनी हथगोले जब्त किए गए। श्री माइबाम रोशन के उक्त खुलासे के पश्चात् एक सुश्री लाइरेनलकपम लिलि को भी गिरफ्तार किया गया जिसने खुलासा किया कि वह के वाई के एल की सदस्य है तथा वह सरकारी कर्मचारियों तथा आम जनता को फिरौती के लिए मांग पत्र देने तथा के वाई के एल के लिए शस्त्रों तथा गोलाबारूद को लाने-ले जाने में संलिप्त थी। उसने यह खुलासा भी किया कि उसने विभिन्न दुकानों से बड़ी संख्या में राशि एकत्रित की थी।

29. पी डब्ल्यू-3, श्री जे.पी.एन. सिंह, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने साक्ष्य (प्रदर्श पी डब्ल्यू-3/1) के लिए आपना हलफनामा 10.2.2012 को प्रस्तुत किया तथा यह कहा कि मणिपुर में आतंकी गतिविधियां मुख्यत: मैतेई भूमिगत संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं जिसमें पी एल ए, आर पी एफ, यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के, के सी पी तथा के वाई के एल सम्मिलित हैं। उन्होंने आगे बयान दिया है कि मणिपुर में मौजूदा सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मणिपुर के राज्यपाल द्वारा समय-समय पर पूरे मणिपुर राज्य को, सिवाय इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र के, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने आगे बयान दिया कि उपर्युक्त संगठनों का घोषित लक्ष्य मणिपुर राज्य को भारत से पृथक करके एक संप्रभुता वाले मणिपुर राज्य की स्थापना करना है तथा ये गुट अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सशस्त्र तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

30. आगे यह बयान दिया गया है कि मणिपुर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। सुरक्षा बल मैतेई भूमिगत संगठनों के मुख्य लक्ष्य बने हुए हैं। इन आतंकवादी संगठनों द्वारा पिछले ढाई वर्षों (31 दिसम्बर, 2011 तक) में की गई हिंसक घटनाओं

का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	कुल घटनाएं	मैतेई भूमिगत संगठनों द्वारा की गई घटनाएं	कुल नागरिक/ मैतेई भूमिगत संगठनों द्वारा मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मैतेई भूमिगत संगठनों द्वारा मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक
2009	659	485	77	17
2010	365	274	24	03
2011 (31 दिसम्बर तक)	298	202	14	02

31. पी डब्ल्यू-3 ने आगे बयान दिया है कि हिंसक घटनाओं के अतिरिक्त वे आम जनता से जबरन धन वसूली तथा बल प्रयोग द्वारा विकास निधियों के दुरूपयोग में भी संलिप्त हैं। उन्होंने आगे बयान दिया है कि मैतेई संगठनों ने राज्य के गैर-मणिपुरी निवासियों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया है। यह बयान दिया गया है कि वर्ष 2011 के दौरान (13 जून, 2011 तक) यू एन एल एफ के मुख्य संगठनों ने घाटी में 36 जन सभाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित कर 'जनमत संग्रह' अभियान चलाया जिसमें सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को हटाने की मांगें उठाई गईं। आगे यह भी बयान दिया गया है कि मैतेई संगठनों ने हिंसा रोकने तथा शांति वार्ता शुरू करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है। इन संगठनों द्वारा 01.01.2011 से 28.05.2011 की अवधि में की गई घटनाओं के सार को प्रदर्श पी डब्ल्यू-3/3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

32. पी डब्ल्यू-3 ने आगे बयान दिया है कि मैतेई भूमिगत संगठन पूर्वोत्तर के अन्य आतंकवादी संगठनों जैसे यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ), नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ निकटतम संबंध बना कर रखते हैं, जो कि अधिनियम के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम तथा आतंकवादी संगठन घोषित किए गए हैं। वे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड [एन एस सी एन (आई/एम)] तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड [एन एस सी एन (के)] के साथ भी संबंधी बनाए हुए हैं। मैतेई भूमिगत संगठन अपने अलगाववादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शस्त्रों की खरीद तथा अपने काडरों के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्राप्त करने के विचार से अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। पी डब्ल्यू-3 ने आगे बयान दिया है कि पी एल ए/आर पी एफ, यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के, के सी पी, के वाई के एल तथा एम पी एल एफ के बांग्लादेश तथा म्यांमार में शिविर

हैं तथा उन्होंने इन देशों में प्रशिक्षण केन्द्र और बारूद डिपो भी बनाए हुए हैं।

33. पी डब्ल्यू-3 ने आगे बयान दिया है कि मैतेई आतंकवादी संगठन बहुत ही सक्रिय हैं तथा यदि इन संगठनों को 12 नवम्बर, 2011 के तत्काल बाद अवैध घोषित नहीं किया जाता तो ये इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं तथा अपनी अलगाववादी, विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने काडरों को इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने आगे बयान दिया है कि ऐसी स्थिति में, पुलिस तथा सुरक्षा बल उन्हें बंदी नहीं बना सकते थे। गिरफ्तार किए गए काडरों पर भी अभियोग नहीं चला सकते थे तथा आगे यह बयान दिया गया है कि इसलिए इन संगठनों को "विधिविरुद्ध संगम" घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना (प्रदर्श पी डब्ल्यू-3/4) को शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू करना आवश्यक समझा गया।

34. अधिकरण ने उन गुप्त दस्तावेजों की भी जांच की है जो केन्द्र सरकार ने पृथक सीलबंद लिफाफों में सौंपे थे (प्रदर्श पी डब्ल्यू-3/2)।

35. अधिकरण में रिकार्ड में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य, केन्द्र सरकार एवं मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं मौखिक साक्ष्य को अध्ययन कर लिया है।

36. केन्द्रीय सरकार एवं मणिपुर सरकार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की सत्यता को नकारा नहीं गया है। इसके विरोध में रिकार्ड में कुछ नहीं हे। विभिन्न गवाहों द्वारा दिए गए बयानों और मौखिक परिसाक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा साक्ष्य के जरिए दिए गए शपथ-पत्र पर अविश्वास करने का काई कारण नहीं है।

37. सभी साक्ष्यों एवं रिकार्ड में प्रस्तुत किए सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अधिकरण की राय हैं कि मेप्रची उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण था। परिणामस्वरूप, अधिकरण ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण), अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत जारी दिनांक 13 नवंम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2568 (अ) में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि कर दी है।

38. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तर्कों को सुनने के बाद तथा साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के बाद अधिकरण ने दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"तर्क सुने गए।

रिकार्ड में प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस ने प्रथम द्रष्टया यह पाया है कि राज्य सरकार के कई अधिकारी एवं राज्य पुलिस अधिकारी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत विध्वंसक क्रियाकलापों में लिप्त हैं उदाहरण के लिए, श्री ओ. इबोपिशांक सिंह, जो पुलिस पड़ताल के दौरान लोकटाक विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य कर रहा था, को धन संग्रह करने एवं आतंकवादी संगठन यू एन एल एफ को मदद करते पाया गया। इसके अतिरिक्त, हिरोक पार्ट-।। बाजार के श्री एन सनाईमा सिंह भी विध्वंसक क्रियाकलापों में लिप्त पाया गया जबकि वह चौथी आई आर बी (ई-कंपनी) के राइफल-मेन के रूप में नियुक्त था। साथ ही, नेमबोल आईनाम के श्री नोंगथोमबाम सरत सिंह की हत्या में पुलिस की जांच से यह पता चला कि के सी पी आतंकवादियों में इस संदेह पर पीड़ित व्यक्ति की हत्या कर दी थी कि वह आइनाम से के सी पी नोयोन समूह के दयामानी उर्फ पोथरेई के अधीन कार्य कर रहा है।

रिकार्ड में दिए गए साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मणिपुर में बड़ी संख्या में हिंसक घटनाएं हुई हैं। वास्तव में वर्ष 2009 में 659, वर्ष 2010 में 365 और वर्ष 2011 में 298 हिंसक घटनाएं हुई हैं। तथापि, अभी तक केवल एक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।

श्री ए. एस. चंडिओक , विद्वान अपर महान्यायवादी का कहना है कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने उपर्युक्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं। राज्य सरकार दो दिनों के भीतर शपथ-पत्र दायर करें।

आदेश सुरक्षित"

39. उपर्युक्त आदेश के उत्तर में सुश्री एल. इबेयेमा देवी, नई दिल्ली में डिप्टी रेजीडेंट कमिश्नर, मणिपुर सरकार ने दिनांक 28 अप्रैल, 2012 को शपथ-पत्र दायर किया उक्त शपथ-पत्र निम्नानुसार है:-

"मैं, एल. इबेयेमेया देवी, डिप्टी रेजीडेंट कमिश्नर, मणिपुर भवन; 2 सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली मणिपुर सरकार एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ एवं निम्नलिखित बयान देता हूँ:-

1. कि मैं डिप्टी रेजिडेंट कमिशनर, मणिपुर भवन, कमिश्नर, मणिपुर भवन, नई दिल्ली हूँ। मैंने उपर्युक्त विषय से संबंधित मेरे समक्ष प्रस्तुत संगत दस्तावेजों का अध्ययन किया है और इसे समझा है तथा मैं मणिपुर राज्य की ओर से इस शपथ-पत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूं और मुझे ऐसा करने के लिए अधिकृत भी किया गया है।

2. कि मणिपुर राज्य ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप में निर्णय ले लिया है जिसके लिए तौर-तरीके सरकर में उच्च स्तर पर तैयार किए जा रहे है। यह मामला इस समय विधि विभाग, मणिपुर सरकार के पास है।

3. कि मणिपुर पुलिस विभाग में विधिविरुद्ध संगठनों के साथ सांठ-गांठ रखने वाले अवांछित तत्वों को विभाग से हटाने के लिए पुलिस कार्मिकों के पूर्ववृत्तों के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी हे तथा ऐसी प्रक्रिया राज्य सरकार के अंतर्गत भर्ती किए गए अन्य सभी कर्मचारियों के लिए भी की जा रही हैं

4. अब तक उपलब्ध रिकार्डो के अनुसार नौ (9) पुलिस कार्मिकों को विध्वसंक क्रियाकलापों में शामिल रहने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। चार पुलिस कार्मिकों नामतः मोहम्मद अब्दुर रहमान; मोहम्म्द अब्दुल खलिक एवं मोहम्मद अमजद खान, जिनको दिनांक 31.10.2009 के आदेशों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है के संबंध में दिनांक 31.10.2009 के बर्खास्तगी आदेशों की प्रतियां उक्त सूची में क्रम सं. 15 एवं 24 पर लगाई गई हैं उक्त सूची से स्पष्ट है कि क्रम. सं. 5,9,14,22 एवं 29 पर उल्लिखित पुलिस कार्मिकों को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है और इस प्रकार बर्खास्त किए गए कुल पुलिस कार्मिकों की संख्या 9 है। क्र. सं. 1,6,7,8,12 एवं 13 पर उल्लिखित पुलिस कार्मिकों को वेतन-वृद्धि रोकने जैसा दंड दिया गया है। क्र. सं. 10 एवं 19 पर उल्लिखित पुलिस कार्मिकों की

1960GI/12—3

जबकि शेष पुलिस कार्मिकों के संबंध में या तो विभागीय जांच या उनके मामलों की पड़ताल लंबित हैं। उक्त सूची की प्रति अनुलग्नक-आर/2 के रूप में इसके साथ संलग्न है।

5. कि मणिपुर सरकार ने आतंकवादी क्रियाकलापों पर काबू पाने के लिए राज्य के राजकोष से विधिविरुद्ध संगमों को चोरी छिपे निधियों की आपूर्ति को रोकने के लिए "मणिपुर ग्रीन" नामक एक पहल के जरिए ई-भुगतान शुरू किया है। मणिपुर सरकार ने इस संबंध में दिनांक 23.11.2011 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है और उसके बाद दिनांक 28.3.2012 को दूसरा कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिनमें यह कहा गया है कि कतिपय प्रकार के भुगतानों के लिए दी गई कुछ छूटों को छोड़कर दिनांक 1.4.2012 से ई-भुगतान का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। दिनांक 23.11.2011 एवं 28.3.2011 के कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियां अनुलग्नक-आ/3(कोली) के रूप में इसके साथ संलग्न है।

6. पुलिस महानिदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 8 आरोप पत्र दायर किए गए हैं ओर 50 आरोप पत्रों के अगले महीने के दौरान दायर होने की संभावना हैं, जिनके चरण निम्नानुसार हैं:

(क) अभियोजन की स्वीकृति लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत मामलों की सं. 2

(ख) अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए प्रारूप आरोप पत्रों की संख्या-20, और

(ग) जांच का अंतिम चरण एवं आरोप पत्र तैयार करना-28 उक्त 50 मामलों की सूची अनुलग्नक-आर/4 के रूप में इसके साथ संलग्न है।

7. कि मणिपुर सरकार ने माननीय अधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया है और उक्त संदर्भ में राज्य, उक्त टिप्पणियों के आलोक में सुधारात्मक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है और उन्होंने इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।"

40. उपर्युक्त शपथ-पत्र के मद्देनजर, अधिकरण निदेश देता है कि सचिव (गृह), मणिपुर. सरकार सभी कार्रवाईयों के समन्वय के लिए गृह सचिव या गृह मंत्रालय में वरिष्ठतम अधिकारी, भारत सरकार के साथ दो महीने में एक बैठक करेगें ताकि अधिनियम को सही भावना से कार्यान्वित किया जा सके और इसका दुरूपयोग न हो सके।

(न्यायाधीश मनमोहन)
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

मई, 2012

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2012

S.O. 1255(E).—In terms of section 4(4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Shri Justice Manmohan, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur, viz., the People's Liberation Army (PLA), the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), the Kangleipak Communist Party (KCP), the Kanglei Yaol Kanba Lup(KYKL) and the Manipur People's Liberation Front(MPLF), as unlawful is published for general information:

[F. No. 11011/65/2011-NE-V]
SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

REPORT OF UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL, PRESIDED OVER BY HON'BLE MR. JUSTICE MANMOHAN, JUDGE, DELHI HIGH COURT, COURT NO. 11, DELHI HIGH COURT, NEW DELHI

IN THE MATTER OF :

NOTIFICATION No. 2568 (E) DATED 13TH NOVEMBER, 2011, DECLARING THE MEITEI EXTREMIST ORGANISATIONS OF MANIPUR, NAMELY,

1. The Peoples' Liberation Army generally known as (PLA);

2. The Revolutionary Peoples' Front (RPF- The Political Wing of PLA);

3. The United National Liberation Front (UNLF);

4. The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing called the "Red Army";

5. The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army";

6. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and

7. The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF).

to be "Unlawful Associations" under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

AND

REPORT OF UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL, PRESIDED OVER BY HON'BLE MR. JUSTICE MANMOHAN, JUDGE, DELHI HIGH COURT, COURT NO. 11, DELHI HIGH COURT, NEW DELHI

IN THE MATTER OF :

NOTIFICATION No. 2568 (E) DATED 13TH NOVEMBER, 2011, DECLARING THE MEITEI EXTREMIST ORGANISATIONS OF MANIPUR, NAMELY,

1. The Peoples' Liberation Army generally known as (PLA);

2. The Revolutionary Peoples' Front (RPF- The Political Wing of PLA);

3. The United National Liberation Front (UNLF);

4. The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing called the "Red Army";

5. The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army";

6. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and

7. The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF)

to be "Unlawful Associations" under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

AND

NOTIFICATION NO. S.O. 2764(E) DATED 9TH DECEMBER, 2011 CONSTITUTING THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL.

1. In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as "the Act"), the Central Government has vide Notification No. S.O. 2568(E) dated 13th November, 2011, declared the MEITEI Extremist Organisations of Manipur, namely, (1) The Peoples' Liberation Army (PLA); (2) The Revolutionary Peoples' Front (RPF) ; (3) The United National Liberation Front (UNLF); (4) The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army"; (5) The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army" ; (6) The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and (7) The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), along with all their factions, wings and front organisations (hereinafter collectively referred to as "the Meitei Extremist Organizations") as Unlawful Associations.

2. In the said notification it is stated that the Central Government is of the opinion that the activities of the MEITEI Extremist Organisations are detrimental to the Sovereignty and integrity of India and that if the Unlawful Activities of the Meitei Extremist Organizations are not curbed and controlled immediately, they would take the opportunity of:-

(i) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;

(ii) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to sovereignty and integrity of India;

(iii) indulging in increased killings of civilians and targeting of the police and security force personnel;

(iv) procuring and inducting more illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extorting and collecting huge funds from the public for their unlawful activities.

3. It is further stated that these extremist organizations have openly declared the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India as their objective and they have been employing and engaging in armed means to achieve the aforesaid objectives. Further, they have been attacking the security forces, the police, the Government employees and law abiding citizens in Manipur, indulging in acts of intimidation,

extortion and looting of civilians for collection of funds for their organizations, making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective and they also have been maintaining camps in neighboring countries for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunitions. For the aforesaid reasons and grounds, the Central Government came to the conclusion that the said organizations were unlawful associations.

4. The Central Government, while declaring the Meitei Extremist Organisations as "Unlawful Associations" under the Act for a further period of two years w.e.f. 13.11.2011, also considered the following grounds :-

i. Continued espousal of the policy of secession of Manipur from India.

ii. Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

iii. Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective.

iv. Extortion and illegal collections from the public.

v. Links and support to other North-East Under Ground outfits including those outfits who have been declared unlawful associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

vi. Procurement of large quantities of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels.

5. The Central Government declared the Meitei Extremist Organizations as Unlawful Associations vide its Notification No. 2568 (E) dated 13th November, 2011. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Act, it also constituted this Tribunal vide Gazette Notification No. S.O. 2764 (E) dated 9th December 2011, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the said Meitei Extremist Organisations to be Unlawful Associations as required by Sub-section (1) of Section 4 of the Act.

6. On the aforesaid reference having been made, this Tribunal vide order dated 20th December. 2011 in pursuance of the provision of Section 4(2) of the Act, issued notices to the aforesaid Meitei Extremist organisations to show cause within 30 days from

the date of the service of the said notices as to why the said Organizations should not be declared unlawful. This Tribunal also directed that the notices be served in the following manner:

(i) By affixing a copy of the notice at some conspicuous part of the office(s), if any, of the Associations;

(ii) By serving a copy of the notice, wherever possible, on the principal office bearers, if any, of the Associations;

(iii) By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice in the area in which the activities of the Associations are ordinarily carried on; and

(iv) By making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of the All India Radio:

(v) By pasting the notice on the Notice Board of the office of the District Magistrate or the Tehsildar at the Headquarters of the District or the Tehsil, as the case may be, in which the principal office(s) of the Associations are situated and

(vi) By publication in a national newspaper in English and in one vernacular newspaper of the State of Manipur in

1960GI/12-4

which the activities of the aforesaid organizations are ordinarily carried on, and which are under circulation in the State of Manipur.

7. The Tribunal also directed its Registrar to supervise the service of notices. The report of the Registrar as regards service of notices was also filed. The affidavit of service was filed by the Union of India.

8. From the material placed on record as well as report of the Registrar of the Tribunal, the Tribunal was satisfied that the notices had been duly served on the aforesaid organizations/associations as per the directions of the Tribunal as prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968.

9. In spite of opportunities having been afforded by Tribunal's orders dated 20th December, 2011, 07th February, 2012, 16th February, 2012 and 20th March, 2012 to the Meitei Extremist Organizations to file their replies/affidavits and have themselves represented before the Tribunal on the dates of hearing, none of

the organizations has made any appearance, nor has any cause been shown in response to the notices.

10. In the hearing of the Tribunal held at Shillong on 12th March, 2012 evidence of PW-1, Mr. Devesh Deval, Joint Secretary (Home), Government of Manipur and PW-2, Mr. Hopson Sapam, Sub Divisional Police Officer Bishnupur (Manipur) was recorded. During the course of hearing on 13th March, 2012, on the request of the counsel for the State of Manipur, two more witnesses were allowed to be produced and the evidence of Mr. N.Madhunimai Singh, SDPO, Imphal (West) and Mr. Lenin Lamabam, SDPO, Moiring was deferred. The matter was fixed for hearing on 20th March, 2012 at Delhi.

11. On 20th March, 2012, the evidence of PW-3, Mr. J.P.N Singh, Director, Ministry of Home Affairs, Government of India, who had filed his affidavit by way of evidence, was recorded and the matter was fixed for hearing on 3rd and 4th April, 2012 at Guwahati.

12. On 3rd April, 2012 the following Police officers of the Government of Manipur, who had filed their affidavits by way of

evidence, were examined on oath and their depositions were recorded:-

PW-4 Mr. Hushne Jaman, Addl. S.P. (LU) Imphal East Distt., Manipur

PW-5 Mr. Lenin Lamabam, SDPO, Moirang, Manipur;

PW-6 Mr. S. Ibomcha Singh, DSP, Commando, Imphal West, Manipur.

PW-7 Mr. N. Madhunimai Singh, SDPO, Imphal (West), Manipur;

13. During their examination-in-chief, all the aforesaid witnesses admitted their signatures on their respective affidavits and tendered their affidavits along with all the exhibits mentioned therein, as a part of their evidence.

14. None appeared before this Tribunal for the aforesaid Meitei Extremist Organizations for cross-examination of the witnesses inspite of affording opportunities as aforementioned. The witnesses were, therefore, discharged. Since no representation, communication or any document had been received from the Meitei Extremist Organizations, either by this Tribunal or its Registrar, the evidence was thus concluded and the matter was

directed to be listed for arguments on 18th & 19th, April, 2012 at Delhi.

15. Arguments were addressed by Mr. A.S. Chandhiok, Additional Solicitor General, assisted by Mr. Baldev Malik and Mr. Himanshu Bajaj, Advocates, on behalf of the Union of India. Learned ASG requested that the Notification No.2568(E) dated 13.11.2011 issued under Section 3 (1) of the Act, by the Central Government, whereby the aforesaid Meitei Extremist Organizations had been declared as unlawful organizations, be confirmed.

16. The Tribunal has perused the documentary evidence placed on the record as also the affidavits and the oral evidence adduced by the Union of India and the State of Manipur.

17. PW-1 Mr. Devesh Deval, Joint Secretary (Home), Government of Manipur, in his affidavit by way of evidence (Ex PW-1/1) has stated that the problem of insurgency has been plaguing Manipur for the last many years and the same has been

created by certain Meitei Extremist Organizations, namely, (i) the Peoples' Liberation Army (PLA), an armed wing of the organization known as the Revolutionary Peoples' Front (RPF); (ii) the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK); (iii) the United National Liberation Front (UNLF); (iv) the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); (v) the Kangleipak Communist Party (KCP); and (vi)the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF). It has been stated by him that the State Government of Manipur has to deal with the problem of insurgency in the State of Manipur created by these Meitei Extremist Organizations and that the main objective of these organizations is to secede Manipur from the Union of India and for the formation of an independent sovereign country; in other words, the secession of the State of Manipur from the Union of India is the objective of the said organizations. It has been further stated that these organization do not consider themselves and the State of Manipur as part of the sovereign India and want to establish independent Manipur and at any conceivable oppórtunity, disrupt the normal activities of life by resorting to violence, terror, threat and the like. To achieve their objectives,

they acquire weapons, arms and ammunitions and for that purpose they threaten the public at large to extort money and in the event of non-cooperation they resort to eliminate them. The effort of these organizations is to create terror and to collect money to further their unlawful activities. These organizations give demand notices to the Government officials and to the affluent citizens demanding that the taxes be paid to them to further their demand for secession of State of Manipur. In the event of a visit by the Prime Minister or any other top dignitary of this country, they exhort the public to boycott the function and threaten them with dire consequences in case they attend the function. All the major national functions particularly Independence Day as well as the Republic Day are boycotted by them. The attendance on the national functions is relatively thin on account of the fear created by these organizations.

18. As regards the Revolutionary Peoples' Front (RPF) and the Peoples' Liberation Army (PLA), it has been stated that their headquarter is located at Nungket in Myanmar. They have several training centres in Myanmar and Indo-Myanmar Border. It is also

stated that RPF is "the political wing" and that PLA is its "armed wing". Both these wings have a cadre strength of 700 (Seven Hundred) and they deploy urban guerilla warfare of moving in small numbers to strike their target or carry out their intended activities. They attack police stations, outposts and lay ambush against security forces. They collect funds from Government departments, employees, businessmen etc.. They are said to have close nexus with other similar organizations, such as NSCN(K), UNLF, PREPAK, TPDF, ULFA, KCP, UPPK etc. as also with CPI (Maoist). It is also a member organization of the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) which was formed on 01.03.1999 by a joint declaration signed by the Chairmen/Presidents of the Revolutionary Peoples Front (RPF), The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and United National Liberation Front (UNLF). It has further been stated by PW-1 that these two wings have more than 500 sophisticated weapons like AK-47, AK-56, M-16, M-18, M-20, M-21, M-22, M-23, LMG and Rocket Launchers etc. in addition to about 1000 other arms.

19. Similar statements have been made by the PW-1 with regard to United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), Kangleipak Communist Party (KCP), and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF).

20. Along with the affidavit of PW-1, attested copies of FIRs registered against the Meitei Extremist Organizations for the period from 13.11.2009 to 20.06.2011 along with seizure memos have been filed and the same have been marked as Exhibits PW1/2 to PW1/6. Ex PW-1/7 consists of seized literature, leaflets, newspaper clippings etc. Ex PW-1/8 consists of the synopsis of the crimes committed by the various banned organizations, brief notes on their activities and abbreviations referring to police stations as used in the reports.

21. It has been deposed by PW-1 that despite enforcement of ban, these banned organizations have been continuing their illegal activities. During the period from 13.11.2009 to 20.06.2011 as many as 876 FIRs were registered against the said organizations.

The State has witnessed terrorism related violence on a large scale since 1979. In view of the aforesaid facts, the State Government has recommended for continuation of the declaration of these aforementioned organizations as 'unlawful associations'. The deponent has further deposed that in spite of the sincere efforts being made by the Government of Manipur and the Government of India, there is no cessation in the extremist activities and hence it needs to be curbed. It has further been deposed that the need to declare these organizations as 'unlawful associations' still exits so as to enable the Government of Manipur to deal with the maintenance of public order and the security of the nation.

22. PW-2, Mr. Hopson Sapam, Sub-Divisional Police Officer, Bishnupur, Manipur, is the Investigating Officer in FIR Case No. 50(6)2010 NBL-PS u/s 302/307/326/447/34 IPC 25 (1-C) Arms Act and u/s 17/20 Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 registered against KCP. The witness has deposed that a report was received on 20.06.2010 that one Mr. Nongthombam Sarat Singh, Agriculture Officer of Horticulture Department, Bishnupur, was shot

at by some unknown youths suspected to be members of the extremists groups. He has deposed that on receiving the information he, along with the police party, went to the spot and started investigation. He has further deposed that the KCP Mobile Task Force had claimed responsibility for killing Mr. Nongthombam Sarat Singh. It is further deposed that on 01.07.2010 the witness received reliable information that some KCP City Meitei cadres were roaming around Nambol area, who are involved in the killing of Nongthombam Sarat Singh whereupon he along with the police party reached Nambol and cordoned the area and on search of two houses, two KCP City Meitei members were arrested. He has further deposed that on arrival at Utlou Mayai Leikai and on search two more KCP City Meitei Cadres were arrested. On questioning from accused, two more KCP City Meitei Cadres were arrested from Kakyai Langpok Bazar. PW-2 has further deposed that one more KCP City Meitei Cadre was arrested on 03.07.2010 from Bishnupur Bazar and during the course of interrogation revealed that the accused persons were involved in the killing of Mr. Nongthombam Sarat Singh.

23. PW-4, Mr. Hushne Jaman, Additional Superintendent of Police (LO) Imphal East District, Manipur, has deposed that he was the Investigating Officer in FIR Case No. 21(6)2011 KUB-PS u/s 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, 25 (1-C) of the Arms Act and Section 5 of Explosive Substances Act registered against PREPAK. He has deposed that based on specified intelligence report received on 15.06.2011 regarding concealment of some huge cache of arms and ammunitions of PREPAK in and around Kumbi area, a search was conducted by a combined team of CDO- Imphal West and CDO- Bishnupur and two unknown persons were apprehended, who admitted to be the active members of PREPAK. On further questioning, the two arrested persons disclosed that they were working with one Ms. Wahengbam Ongbi Amurei Devi and accordingly Amurei Devi was also arrested. On further questioning, all the three arrested individuals disclosed that a huge cache of arms and ammunitions were kept concealed at a fish farm covered with plastic situated at Kombi, Awang Khanou fish farm. The witness has deposed that a search was conducted and one big size shell, six RPG shells, 13

RPG shell extensors, U.S. carbine Magazines, one G-3 Rifle Magazine, thirty Lethode shells and seventeen Mortar Shell were recovered. On further questioning and at the pointing out of Ms. Amurei Devi, one AK-56 Rifle with one Magazine having thirty live rounds and one M-16 Rifle with one Magazine were recovered.

24. PW-5, Mr. Lenin Lamabam, Sub-Divisional Police Officer, Moirang, Manipur has deposed that he is the present Investigating Officer in FIR Case No. 21(6)2011KUB-PS u/s 20 Unlawful Activities (Prevention) Act, 25 (1-C) Arms Act and 5 Explosive Substances Act registered against PREPAK. He has deposed that he took over the charge from PW-4 on 29.12.2011.

25. PW-6, Mr. S. Ibomcha Singh, Deputy Superintendent of Police, Commando, Imphal (West), Manipur has deposed he was the Investigating Officer in FIR Case No. 9(02)/2010 City PS u/s 18/20 of Unlawful Activities (Act), 25 (1-B) of Arms Act and Section 5 of Explosive of Substances Act registered against RPF/PLA. He has further deposed that he was also the Investigating Officer in FIR Case No. 119(12)/2009 City PS 384/34 IPC, 16/17/20 of the

Unlawful Activities (Prevention) Act and 25 (1-B) of Arms Act registered against UNLF.

26. He has deposed that on 17.02.2010 on receiving a credible intelligence report that some RPF/ PLA Cadres were laundering in and around Bazar area for committing prejudicial activity, a search was conducted and one youth was arrested who disclosed that he was an over ground worker of RPF/PLA. On further interrogation, he disclosed that he used to transport arms and ammunitions for the PLA and that huge number of assorted arms and ammunitions had been kept concealed by him at the residence of Mr. Sanabam Pungou Singh and Mr. Moirangphem Ibomcha Singh. It has been deposed that on the pointing out of Mr. Sanabam Porigou Singh, 2100 AK ammunitions, 500 M-16 ammunitions, 70 Lethode bomb, 10 Chinese hand grenade along with detonators, 13 Chinese made 2 Mortar Shells, 2 AK Magazine, 1 Nokia Mobile hand set and 1 Activa Scooter were recovered and Mr. Sanabam Pumgou Singh and Mr. Moirangphem Ibomcha Singh were arrested and that the arrested persons are over ground worker of RPF/PLA.

27. PW-6 has further deposed that on 19.12.2009 based on intelligence input that some cadres of UNLF were going to organize a joint meeting at the building of Johnstone Higher Secondary School, he along with his team reached the spot and conducted frisking and checking. While conducting frisking, two suspected persons were arrested, namely, Mr. Naorem Kiran, an Assistant RO IW of UNLF and Mr. Ningthoujam Helendro Singh, a Rifleman of 4th IRB (E Company) carrying his Rifleman number 405331. It is further deposed that on the disclosure of these two arrested persons follow up action was conducted and seven more persons, one of them being the Executive Engineer of Loktak Development Authority, namely, Mr. Oinam Ibopishak Singh, was arrested and three AK -56 Rifles without Magazine, one double barrel gun, one inverter, 170 AK 56 Projectiles, ten double barrel ammunitions, one utensil and one solar lamp plate were recovered. It is further deposed that during the course of investigation it revealed that Mr. Oinam Ibopishak Singh, the Executive Engineer of Loktak Development Authority, was involved

in collection of money and helping and holding meetings with members of the terrorist organization UNLF.

28. PW-7, Mr. N. Madhunimai Singh, Sub Divisional Police Officer, Imphal West, Manipur has deposed that he is the Investigating Officer in Case FIR No. 227 (4)11 IPS u/s17/20 Unlawful Activities (Prevention) Act and Section 5 of Explosive Substances Act registered against KYKL. He has deposed that on 13.04.2011 reliable information was received regarding the presence of hardcore cadres of KYKL in and around Keishampat area. Acting on this credible input, one person namely Mr. Maibam Roshan, was detained who disclosed that first he was an active member of the UNLF. On further interrogation, he disclosed that now he is now an active member of KYKL. PW-7 further deposed that during his body search two Chinese hand grenade were recovered from his possession. On the disclosure of the said Mr. Maibam Roshan one Ms. Lairenlakpan Lily was also arrested who disclosed that she is a member of KYKL and that she was involved in serving demand letters to the government employees and general public and also involved in the transportation of arms

and ammunitions for KYKL. She further disclosed that she had collected huge amount of money from various shops.

29. PW-3, Mr. J.P.N. Singh, Director, Ministry of Home Affairs, Government of India, tendered his affidavit dated 10.02.2012 in evidence (Ex. PW-3/1) and stated that in Manipur militant activities are mainly carried out by the Meitei underground outfits which include PLA, RPF, UNLF, PREPAK, KCP and KYKL. He has further deposed that in view of the prevailing security situation in Manipur, the entire State of Manipur excluding Imphal Municipal Area has been declared as disturbed area under the Armed Forces(Special Power) Act, 1958 by the Governor of Manipur from time to time. He further deposed that the declared objective of the aforesaid organizations is to establish a sovereign State of Manipur by secession of Manipur State from India and these outfits have been engaging themselves in armed means to achieve their objectives.

30. It has been further deposed that the fragile law and order situation in the State of Manipur remains a cause of concern. The

Security Forces remain the prime target of Meitei underground outfits. The details of violent incidents by these militant organizations in the last two-and-a-half years (till 31st December, 2011) are given below:-

Year	Total Incidents	Incidents by Meitei UGs	Total Civilians/SFs Killed by Meitei UGs	SFs killed by Meitei UGs
2009	659	485	77	17
2010	365	274	24	03
2011 (till December 31st)	298	202	14	02

31. PW-3 has further deposed that apart from violent activities, they indulge in extortions from general public and siphoning of development funds by coercion. He has further deposed that the Meitei outfits have intensified their campaign against non-Manipuri residents of the State. It has been deposed that during 2011 (till 13th June, 2011) various front organizations of UNLF took up 'plebiscite' campaign with at least 36 public meetings and conferences held in the valley raising demands for withdrawal of Armed Forces (Special Powers) Act, 1958. It has been further

deposed that the Meitei outfits have not shown any inclination to adjure violence and take recourse to peace talks. A gist of the incidents committed by these organizations relating to the period from 01.01.2011 to 28.05.2011 are marked as Ex PW-3/3.

32. PW-3 has further deposed that the Meitei Underground outfits maintain close links with other extremist organizations in the North East such as United Liberation Front of Asom (ULFA), All Tripura Tiger Force (ATTF), National Liberation Front of Tripura (NLFT) and Communist Party of India (Moist) which have been declared unlawful associations and terrorist organizations under the Act. They have also been maintaining links with National Socialist Council of Nagaland [NSCN (I/M)] and National Socialist Council of Nagaland [NSCN (K)]. The Meitei underground outfits have been maintaining links with other extremist organizations with a view to securing their assistance for procurement of arms and also for training of their cadres for the purpose of achieving their secessionist objectives. PW-3 has further deposed that the PLA/RPF, UNLF, PREPAK, KCP KYKL and MPLF have camps in

Bangladesh and Myanmar and they are also maintaining training centres and arsenal depots in these countries.

33. PW-3 has further deposed that the Meitei Extremist Organizations are extremely active and that if these organizations had not been declared "unlawful associations" immediately after 12th November, 2011, these associations would have taken undue advantage of the situation and mobilized their cadres for escalating secessionist, subversive, terrorist and violent activities. He has further deposed that the police and security forces, in such an eventuality, would have found it difficult to detain and prosecute even those who were apprehended. It has further been deposed that it was, therefore, considered necessary to give effect to the Notification (Ex PW-3/4) declaring these organizations as "unlawful associations" from the date of its publication in the official gazette.

34. The Tribunal has also examined the secret documents which had been handed over by the Central Government in separate sealed covers (Ex. PW-3/2).

35. The Tribunal has gone through the documentary evidence placed on record, the affidavits and oral evidence adduced by the Union of India and the Government of Manipur.

36. The evidence led on behalf of the Central Government and the Government of Manipur has not been controverted. There is nothing on record to contradict it. There is no reason to disbelieve the statements made by the various witnesses and the documentary evidence which has been submitted in support of the oral testimonies and the affidavits by way of evidence.

37. After considering the entire evidence and all the material placed on the record, the Tribunal is of the view that there was sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organizations to be unlawful. Consequently, the Tribunal confirms the declaration made by the Central Government in the Notification No.S.O.2568 (E) dated 13th November, 2011 issued under Section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

38. It is pertinent to mention that after hearing arguments and after recording evidence, the Tribunal on 26th April, 2012 had passed the following order:-

> *"Arguments heard.*
>
> *From the evidence on record, it transpires that during investigation, the Police has prima facie found that a number of State Government officers as well as State Police officers are involved in subversive activities under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. For instance, Mr. O. Ibopishank Singh serving as Executive Engineer of Loktak Development Authority during police investigation was found to be collecting money and helping the terrorist organization UNLF. Further Mr. N. Sanayaima Singh of Heirok Part-II Bazar was also found involved in subversive activities even though he was employed as a Rifleman of 4th IRB (E-Company). Also, the Police investigation in the murder of Mr. Nongthombam Sarat Singh of Nambol Oinam revealed that KCP terrorists had killed the victim on the suspicion that he was working under Dyamani alias Poirei of KCP Noyon group from Oinam.*
>
> *It is also evident from the evidence on record that a large number of violent incidents have taken place in Manipur. In fact, 659 in 2009, 365 in 2010 and 298 in 2011. However, charge sheet has been filed only in one case till date.*
>
> *Mr. A.S. Chandhiok, learned Additional Solicitor General states that both the Central and State Governments have taken certain steps to remove the aforesaid anomalies.*
>
> *Let the State Government file an affidavit within two days.*
>
> *Order reserved."*

39. In response to the aforesaid order, Ms. L. Ibeyaima Devi, Deputy Resident Commissioner, Government of Manipur at New Delhi has filed an affidavit dated 28th April, 2012. The said affidavit is reproduced hereinbelow:-

> *"I, L. Ibeyaima Devi, Deputy Resident Commissioner, Manipur Bhawan, 2 Sadar Patel Marg, New Delhi, Government of Manipur do hereby solemnly affirm and state as follows:-*
>
> *1. That I am the Deputy Resident Commissioner, Manipur Bhawan, New Delhi. I have gone through the relevant papers, pertaining to the above matter, placed before me and have understood the same and as such I am competent to swear this affidavit on behalf of the State of Manipur and I have also been authorized to do so.*
>
> *2. That the State of Manipur has taken up a decision in principle for setting up of a Special Court under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for which the modalities are being worked out at the highest level in the Government. The matter is presently with the Law Department, Government of Manipur.*
>
> *3. That a re-verification process of antecedents of police personnel has been initiated by the Manipur Police Department to purge it of unwarranted elements having links with unlawful organizations and such exercise is being done for all other employees also recruited under the State Government.*
>
> *4. That as per records available so far, nine police personnel have been dismissed from service under*

Article 311 of the Constitution of India for involvement in subversive activities. Copies of the dismissal orders dated 31.10.09 in respect of four police personnel namely Md. Warish: Md. Abdur Rahaman; Md. Abdul Khalique and Md. Amjad Khan who have been dismissed from service vide order dated 31.10.09 find their places also in the said list at serial No.15 and 24. It is evident from the said list that the police personnel at serial No.5. 9. 14, 22 & 29 have also been dismissed from service making a total of nine dismissal. Police personnel at serial No.1, 6, 7, 8, 12 & 13 have been awarded punishment like stoppage of increment. Police personnel at serial No.10 and 19 have been re-instated as the charges leveled against them being not proved whereas in respect of the remaining police personnel, either the Departmental Enquiries or the investigations of their cases are pending. A copy of the said list is annexed herewith as ANNEXURE-R/2.

5. That the Government of Manipur has introduced e-payment through an initiative called "Manipur Green" to prevent pilferage of funds to the unlawful associations from the State Exchequer to contain activities of terrorists. The Government of Manipur has issued an Office Memorandum dated 23.11.2011 in that regard followed by another Office Memorandum dated 28.3.2012 stating that e-payment will be strictly followed with effect from 1.4.2012 except the few exemptions granted for certain kinds of payments. Copies of the Office Memorandum dated 23.11.2011 and 28.3.2012 are annexed herewith as ANNEXURE-R/3 (Colly.)

6. That as per the information received from the Director General of Police, a total of 8 charge sheets have been filed and 50 charge sheets are likely to be filed during the next month, the stages of which are given as under:

(a) No. of cases put up to District Magistrate for prosecution sanction-2;

(b) Draft charge sheets initiated for obtaining prosecution sanction-20; and

(c) Final stage of investigation and preparation of charge sheet-28. A list of the said 50 cases is annexed herewith as ANNEXURE-R/4.

7. That the State of Manipur has taken a note of the observations made by this Hon'ble Tribunal and in the said context, the State is committed to and has already commenced the process of taking remedial measures in the light of the said observations."

40. Keeping in view the aforesaid affidavit, the Tribunal directs that the Secretary (Home), Government of Manipur shall hold meeting once in two months with Home Secretary or next senior-most officer in the Home Ministry, Union of India to co-ordinate all actions so that the Act is implemented in its right earnestness without the same being misused.

(JUSTICE MANMOHAN)
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

7TH MAY, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.